ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

The 31st May, 1985

No. 3676-AH(I)-85/9026.—The Governor of Haryana is pleased to retire Shri Ajit Singh Grewal, H.V.S.I, Director, Animal Husbandry Department, Haryana, from Government service with effect from 31st May, 1985 (A.N.) on his attaining the age of superannuation at 58 years.

M. K. MIGLANI,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Animal Husbandry Department.

EDUCATION DEPARTMENT

The 29th May, 1985

No. 35/40/85-Edu-I(6).—The Governor of Haryana is pleased to appoint Shri Hardwari Lal, M.P. as Honorary Advisor to Government, Education Department with immediate effect, till further orders.

L. M. JAIN,

Commissioner and Sectretary to Government, Haryana,
Education Department.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 30 अप्रैल, 1985

सं. औ.वि./एफ.डी./23-84/19398.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. एवन आटोमोटिव कम्पोनेन्टस. प्रा. लि., प्लाट नं. 59,, सैक्टर-6, फरीदाबाद, के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि राज्यपाल हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है/हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है/हैं न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

1. क्या श्रमिक मौसम अनुसार दो जोड़े टेरीकाट की वर्दी लेने के हकदार हैं? यदि हां, तो किस विवरण में?
2. (i) क्या श्रमिक मकान भत्ता वेतन का 25 प्रतिशत की दर से लेने का हकदार है? यदि हां, तो किस विवरण में?
   (ii) क्या श्रमिक साईकल भत्ता, चाय भत्ता 60 रुपये प्रति माह की दर से लेने का हकदार हैं? यदि हां, तो किस विवरण में ?

दिनांक 2 मई, 1985

सं० औ०वि०/पानीपत/5-85/20103.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० स्पेशन मशीन कुन्जपुरा रोड, बाई पास करनाल, के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित, औद्योगिक

अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है/हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

1. क्या कारखाने के सभी श्रमिक हाजरी कार्ड के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण से ?

2. क्या कारखाने के श्रमिकगण जिस पद पर कार्य करते हैं उस अनुसार पद व ग्रेड के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण से ?

3. क्या कारखाने के श्रमिक राशी भत्ता 50 रुपये प्रत्येक माह लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण से ?

एम० सेठ,
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 29 अप्रैल, 1985

सं. ओ. वि./फरीदाबाद/74-85/19263.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. ओरियन्टल इलैक्ट्रीकल इन्शुलेशनप्रा. लि., एन.आई.टी, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री शिव वचन तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम/60/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-88-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय-निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है :—

क्या श्री शिव वचन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./फरीदाबाद/74-85/19270.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० ओरियन्ट इलैक्ट्रीकल इन्शुलेशन प्रा. लि., एन.आई.टी. फरीदाबाद, के श्रमिक श्रीमती कान्ता देवी तथा उसके प्रबंधकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 श्रम-60/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम 88-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्रीमति कान्ता देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ?

जे० पी० रतन,
उप सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।